उत्तर प्रदेश भू—दान यज्ञ अधिनियम 1952 {उत्तर प्रदेश अधिनियम 10, 1953}

UTTAR PRADESH BHOODAN YAGYA ACT, 1952¹ [U. P. Act No. 10 of 1953]

उत्तर प्रदेश भू—दान यज्ञ अधिनियम 1952¹ {उत्तर प्रदेश अधिनियम 10, 1953}

उ० प्र० अधिनियम सं. 10, 1975 उ० प्र० अधिनियम सं. 8, 1977 तथा उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 1979 द्वारा संशोधित

{उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1952 ई0 तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद ने दिनांक 5 जनवरी, 1953 ई. की बैठक में स्वीकृत किया)

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 27 फरवरी, 1953 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 5, मार्च, 1953 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू—दान यज्ञ के संबंध में भूमि के दान तथा उसके बन्दोबस्त को सुकर बनाने के लिये

अधिनियम

यह आवश्यक है कि श्री विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू—दान यज्ञ के संबंध में भूमि के दान को सुकर बनाया जाय और ऐसी भूमि का बन्दोबस्त भूमिहीन व्यक्तियों के साथ किया जाय। अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

1—— (1) इस अधिनियम का नाम ''उत्तर प्रदेश भू—दान यज्ञ अधिनियम, 1952'' होगा।

संक्षिप्त नाम, प्रसार और

- (2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) $\{ *** \}^3$
- 2-- विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :--

परिभाषाएं

- (क) ''भूदान यज्ञ'' का तात्पर्य उस आन्दोलन से है, जो भूमिहीन व्यक्तियों में वितरण के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक दान द्वारा भूमि हस्तगत करने के निमित्त श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरब्ध किया गया है,
 - (ख) ''खाता'' का अर्थ वही है, जो यू.पी. टेनेंसी ऐक्ट, 1939 में दिया गया है।
 - (ग) "स्वामी का तात्पर्य किसी भूमि के सम्बन्ध में-
 - (1) उन क्षेत्रों में जहां मध्यवर्तियों के अधिकार 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि—व्यवस्था अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गये हो, यथास्थिति, उसके भूमिधर या सरकारी पट्टेदार से है;
 - (2) उन क्षेत्रों में जहां यूनाईटेड प्राविन्सेज टेनेसी ऐक्ट, 1939 समय विशेष पर प्रचलित हो, उसके जमीदार से है तथा इसके अन्तर्गत माफीदार काश्तकार रियायतें लगान बागदार और अधिनियम ऐक्ट की धारा 21 के खंड (अ) से (एफ) तक में उल्लिखित काश्तकार भी है।

^{1.} उददेश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 21 नवम्बर, 1952 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

^{2.} उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९७७ की धारा ७१ द्वारा प्रतिस्थापित।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1982 की धारा 26 द्वारा निकाला गया।

हे.

- (3) अन्य क्षेत्रों में उसके स्वामियों से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कास्तकार भी है, जिसका भूमि पर दाय योग्य तथा हस्तांतरणीय स्वत्व हो,
- (घ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से
 - (ङ) " राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है, और
- (च) इन अधिनियमों में जिन शब्दों तथा पदों की परिभाषा न दी गयी हो, उनका तात्पर्य—
 - (1) उन क्षेत्रों में, जिसका अभिदेश खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) में किया गया है, 1950 ई. के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि—व्यवस्था अधिनियम में उनको दिये गये अर्थ से होगा;
 - (2) उन क्षेत्रों में, जिनका अभिदेश उक्त खण्ड के उप्खण्ड (2) में किया गया है, यूनाईटेड प्राविन्सेज टेनेंसी ऐक्ट, 1939 ई0 में उनके दिये गये अर्थ से होगा.
 - (3) अन्य क्षेत्रों में, भूमि पर प्रवृत्त होने वाले भौमिक अधिकार से सम्बन्धित विधि में उनको दिये गये अर्थ से होगा।

3— उत्तर प्रदेश के लिये एक भू—दान यज्ञ सिमिति (जिसे यहां पर आगे चल कर "सिमिति" कहा गया है) की स्थापना की जायगी, जिससे सत्त अनुक्रम प्राप्त होगा और जो एक निगमित संख्या होगी और उसे यह सामर्थ्य प्राप्त होगा कि अपने नैगम नाम (Corporate name) से दूसरे पर वाद प्रस्तुत कर सके और दूसरा उस नाप पर उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सके, वह चल और अचल सम्पत्ति को उपार्जित कर सके रख सके उसका प्रशासन और हस्तांतरण कर सके तथा संविदा भी कर सके।

भू—दान यज्ञ समिति को स्थापना और उसका निगमीकरण

4-- (1) समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्-

समिति का संगठन

- (क) {राज्य सरकार} द्वारा नांमांकित सभापति (चेयरमैन) ;
- (ख) चार सदस्य या उससे अधिक किन्तु नौ से अधिक नहीं, जिन्हें {राज्य सरकार नामांकित करेगी।}²
- $(2) \{ * * * * \}^2$
- (3) सभापति (चैयरमैन) तथा सदस्यों का नामांकन $\{* * *\}^3$ नियत रीति के अनुसार विज्ञप्ति किया जायगा।
- (4) सिमति के सभापति और सदस्य उपधारा (3) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से चार वर्ष के लिये अपने पद पर कार्य करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति या पुनर्नामांकन के, यथास्थिति, योग्य होंगे।
 - 5-- (1) यदि किसी भी समय, राज्य सरकार को यह सन्तोष हो जाये कि -

(क) समिति ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन या दिये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के बिना नहीं किया है.

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन करने में समिति असमर्थ हो गयी है या हो सकती है. या समिति को भंग किया जाना

^{1.} उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1979 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 2 (ख) निकाला गया।

उपर्युक्त की धारा 2 (ग) द्वारा निकाला तथा प्रतिस्थापित किया गया।

{उत्तर प्रदेश भू—दान यज्ञ अधिनियम, 1952}

धारा 6-11

- (ग) अन्य कारणों से समिति का भंग करना उपयुक्त या आवश्यक हो, तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके—
 - (1) समिति को, ऐसी अवधि के लिये, जो निर्दिष्ट की जाय, भंग कर सकती है:
 - (2) यह निर्देश कर सकती है कि इस अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार समिति को पुनः संगठित किया जाय; और
 - (3) यह प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन, उस अविध के लिये जिसके लिये सिमिति भंग की गई हो, सिमिति के कर्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा और ऐसे विरोधों के साथ जो नियत किये जायं किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार, ऐसे आनुषांगिक और पारिणामिक उपबन्ध कर सकती है जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

6— समिति में होने वाली आकस्मिक रिक्तियों को भरने का ढंग, उसके कार्य करने की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का प्रचालन, वहीं होगा, जो नियत किया जाय। आकरिमक रिक्तियां तथा समिति के संबंध में अन्य विषय।

7—— (1) समिति भू—दान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य कार्य करेगी तथा उसे ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होगी, जो ऐसी भूमि के संबंध में आवश्यक हों। समिति के कर्तव्य

8—— (1) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जो भूमि का स्वामी हो, इस निमित नियत रीति से लिखित प्रख्यापन द्वारा (जिसे यहां हर आगे चलकर भू—दान प्रख्यापन कहा जायगा) ऐसी भूमि का दान और अनुदान कर सकता है।

भू—दान यज्ञ के लिये। भूमि का दान।

(2) भू—दान प्रख्यापन किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र तहसीलदार के यहां प्रस्तुत दिया जायेगा।

9-- भू-दान प्रख्यापन प्राप्त होने पर, तहसीलदार :--

(क) उसे उजूदारियां के लिये प्रकाशित करेगा और

{(कक) उसका नोटिस सम्बद्ध गांव सभा को देगा।}¹

(ख) ऐसी भूमि में दाता के अधिकार, आगम और स्वत्व की सरसरी तौर से जांच करेगा। प्रख्यापन का प्रकाशन तथा उसके संबंध में जांच।

10— 1950 ई. को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि—व्यवस्था अधिनियम यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 या भौमिक अधिकार से सम्बद्ध किसी अन्य विधि में, जो लागू हो, किसी बात के होते हुये भी कोई स्वामी भू—दान यज्ञ में ऐसी भूमि को, जो उसके पास उक्त रूप में हो, दान करने के निमित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समर्थ होगा।

भू–दान के लिये समर्थदाता

11— (1) कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वत्वों पर धारा 8 के अधीन किये गये भू—दान प्रख्यापन का प्रभाव पड़ता हो, उक्त प्रख्यापन के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिन के भीतर उसके सम्बन्ध में तहसीलदार के समक्ष उजदारी कर सकता है।

उजदारियों का प्रस्तुत किया जाना, उनकी सुनवाई और उनका निस्तारण

- (2) तहसीलदार ऐसी प्रत्येक उजूदारी को रिजस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करेगा, जिसकी सूचना प्रख्यापन करने वाले व्यक्ति, उजदारी करने वाले व्यक्ति, तथा {सम्बद्ध गांव सभा} को दी जायेगी।
- (3) सुनवाई के दिनांक पर या किसी ऐसे अन्य दिनांक पर, जिसके लिये सुनवाई स्थगति, की जाये, तहसीलदार उजूदारों की जांच पड़ताल और निस्तारण की कार्यवाही आरम्भ कर देगा और धारा 12 के उपबन्धों को बांधित न करते हुये ——
 - (क) या तो भू-दान प्रख्यापन को पृष्ठ करेगा, अथवा
 - (ख) उसे अधिकान्त कर देगा।
- (4) यदि तहसीलदार भू—दान प्रख्यापन को भी पुष्ट कर देता है, तो समय विशेष पर प्रचिलत किसी विधि में किसी बात को होते हुये भी, स्वामी के ऐसी भूमि में सभी अधिकार, आगमन और स्वत्व भू—दान यज्ञ के प्रयोजनों के निमित्त भूदान समिति का हस्तान्तरित तथा उसमें निहित हो जायेगी:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि भूदान प्रख्यापन की पृष्टि के दिनांक से ठीक बाद की जुलाई के पहले दिवस आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अविध तक ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई माजगुजारी देय नहीं होगी यदि वह दान के दिनांक पर परती कदीम अथवा बंजर हो।

- (5) यदि उपधारा (3) के अन्तर्गत तहसीलदार भू—दान प्रख्यापन को अधिकान्त कर दे तो उक्त दान निरस्त हो जायेगा और ऐसी भूमि में स्वामी के सभी अधिकार, स्वात्व और आगमन उसी प्रकार प्रचलित रहेंगे और मानो कि ऐसा कोई दान किया ही न गया हो।
- {(6) इस धारा के अधीन तहसीलदार के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीन दिन के भीतर उसके विरूद्ध कलेक्टर को अपील कर सकेगा, और ऐसी अपील पर कलेक्टर का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (7) इस धारा के अधीन भूदान प्रख्यापन को पुष्ट अथवा अधिकान्त करने के अधिकार के अंतर्गत उसे पूर्णतः या अंशतः पुष्ट या अधिकान्त करने का भी अधिकार होगा।}²
- 12— किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई स्वामी इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त किसी ऐसी भूमि का दान नहीं कर सकता है, जो निम्नलिखित वर्गों में से किसी के भी अन्तर्गत हो —

भूमि, जिनका दान नहीं दिया जा सकता।

- (क) ऐसी भूमि, जो दान के दिनांक पर अभिलिखित या आचारिक सार्वजनिक पशूचर भूमि, शमशान, अथवा कब्रिस्तान, तालाब, रास्ता अथवा खलिहान हो,
 - (ख) ऐसी भूमि, जिसमें स्वामी के स्वत्व जीवन काल तक सीमित हों,
 - (ग) अन्य ऐसी भूमि, जिसे राज्य सरकार गजट, में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे।
- 13—— (1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व भूमि भू—दान यज्ञ में दान दी गई हो तो कलेक्टर उन भूमियों को छोड़कर जिन पर धारा 12 के उपबंध लागू होते हों, ऐसी सभी भूमियों की सूची तैयार करेगा और उसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे।—

इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दान दी हुई भूमि

^{1.} उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1975 की धारा 3 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 3 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट।

- (क) भूमि का क्षेत्रफल तथा अन्य ब्योरे;
- (ख) दाता का नाम तथा पता;
- (ग) दान का दिनांक;
- (घ) ऐसी भूमि में दाता के स्वत्व का प्रकार;
- (ङ) यदि ऐसी भूमि भू—दान यज्ञ के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुदान की जा चुकी हो तो उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे भूमि अनुदान की गई हो (जिसे आगे चलकर अनुदान ग्रहीता कहा गया है;)
 - (च) उपखण्ड (ड.) के अन्तर्गत अनुदान का दिनांक; और
 - (छ) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो नियत किये जायं।
- (2) इस प्रकार तैयार की गई सूची नियत रीति से प्रकाशित की जायेगी।
- (3) उपधारा (2) के अन्तर्गत सूची प्रकाशित होने पर किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी —
 - (क) दाता के ऐसी भूमि में अधिकार, में आगम तथा स्वत्व, दान के दिनांक से भू—दान यज्ञ समिति का हस्तन्तिरित तथा उसमें निहित समझे जायें मानों कि धारा 8 तथा धारा 11 की उपधारा (3) के अनुसार भू—दान यज्ञ प्रख्यापन विधिवत किया गया था तथा उस सम्बन्ध में पुष्ट हुआ था;
 - (ख) यदि ऐसी भूमि का भू—दान यज्ञ के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुदान कर दिया गया हो, तो उक्त भूमि अनुदान के दिनांक से धारा 14 के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार अनुदान ग्रहीता के अनुदान की गयी भी समझी जायेगी।
- 14— {(1)}¹ समिति अथवा अन्य कोई प्राधिकारी अथवा व्यक्ति जिसे समिति राज्य सरकार को स्वीकृति से सामान्यतः अथवा क्षेत्र विशेष के संबंध में निर्दिष्ट करें, समिति में निति भूमि {भूमिहीन कृषि श्रमिकों}² को नियत विधि से अनुदान कर सकते है और भूमि का अनुदान ग्रहीता—

भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का प्रदान

- (1) यदि भूमि किसी ऐसे आस्थान में स्थित हो जो 1950 ई. के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत और अनुसार राज्य सरकार में निहित हो गयी हो, तो ऐसी भूमि में {असंक्रमणीय अधिनियम कार वाले भूमिधर} के अधिकार तथा दायित्व उपार्जित करेगा; और
- (2) यदि भूमि किसी अन्य क्षेत्र में स्थित हो तो ऐसे अधिकार और दायित्व एवं ऐसे प्रतिबंधों, निरोधों ओर सीमाओं के अधीन, जो नियत किये जायें, उपार्जित करेगा, तथा अन्य किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी ये सप्रभाव होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1975 की धारा 4 द्वारा पुनः संख्यांकित।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९७७ की धारा ७२ द्वारा अंतर्विष्ट ।

{(2) जहां उपर्युक्त समिति या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति समिति में ऐसी भूमि के निहित होने के दिनांक से या उत्तर प्रदेश भू—दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के दिनांक से जो भी पश्चातवर्ती हो, तीन वर्ष की अविध के भीतर उपधारा (1) के अनुसार भूमिका अनुदान करने में असफल रहता है तो कलेक्टर स्वयं ऐसी भूमि का अनुदान भूमिहीन कृषि श्रमिकों को नियत रीति से कर सकता है, और तदुपरान्त अनुदान ग्रहीता उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारों तथा दायित्वों को उसी प्रकार उपार्जित करेगा मानों अनुदान स्वयं समिति द्वारा दिया गया हो।

$(3) \{ * * * * \}^1$

- (4) इस धारा के अधीन भूमि का अनुदान करने में, यथास्थिति, उपर्युक्त समिति या अन्य प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति या कलेक्टर निम्नलिखित सिद्धान्तों का अनुपालन करेगाः——
 - (क) अनुदान के लिये उपलब्ध भूमि का कम से कम 50 प्रतिशत उन व्यक्ति को, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन—जातियों के हों और उन व्यक्तियों को जो कोल, पठारी, खैरवार, बैगा, धारिकार, पनिका और गौण जन जातियों तथा ऐसी अन्य जन—जातियों के हो, जिन्हें राज्य सरकार समिति को सिफारिश पर तदर्थ विज्ञप्ति करें, अनुदत्त किया जायेगा;
 - (ख) किसी गांव में स्थिति भूमि का अनुदान, यथासम्भव उसी गांव में निवास, करने वाले व्यक्तियों को दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "भूमिहीन कृषि श्रमिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि—श्रम या खेती हो और जिसके पास सुसंगति समय पर या तो कोई भूमि न हो या उत्तर प्रदेश में भूमिधर {***} असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में 0.40468564 हैक्टर (एक एकड़) से अनधिक भूमि हो।

15— सभी अनुदान जहां तक सम्भव होगा भू—दान यज्ञ योजना के अनुसार ही किये जायेंगे। भूदान यज्ञ योजना के अनुसार ही प्रदान (ग्रांट) दिये जायंगे।

- {15—क—— (1) कलेक्टर उ०प्र० भूदान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात, धारा 14 के अधीन अनुदत्त की गई किसी भूमि के सम्बन्ध में स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा और समिति के संस्तुति पर या ऐसे अनुदान से व्यक्ति किसी व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाये कि अनुदान अनियमित या ऐसा अनुदान उसके गृहीता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट से प्रापत किया गया था, तो यह—
 - (1) अनुदान रद्द कर सकेगा, और इस प्रकार रद्द किये जाने पर धारा 14 में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी भूमि में अनुदान ग्रहीता या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और भूमि समिति को प्रतिवर्तित हो जायेगा, और
 - (2) ऐसी भूमि पर कब्जा करने वाले या कब्जा रखे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात भूमि का कब्जा समिति को परिदत्त करने का निदेश दे सकेगा और प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा या करा सकेगा, जो आवश्यक हो।

^{1.} उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८ १९७७ की धारा ७२ (ख) द्वारा निकाला गया।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 72 (ग) द्वारा निकाला गया।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1975 की धारा 4 (ख) द्वारा अंतर्विष्ट।

{उत्तर प्रदेश भू—दान यज्ञ अधिनियम, 1952}

धारा 16-17

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही को नोटिस समिति की दी जायेगी और उसके सम्बन्ध में समिति द्वारा किये गये प्रत्येक अभ्यावेदन पर कलेक्टर द्वारा विचार किया जायगा।
- (3) अनुदान ग्रहीता या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके सम्बन्ध में कलेक्टर को यह ज्ञात हो कि यह उसके अन्तर्गत दावेदार है, सुनवाई का अवसर दिये बिना उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जायगा।
 - (4) उपधारा (1) के अधीन पारित कलेक्टर का अन्तिम और निश्चायक होगा।}1

16— धारा ८ के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया भू—दान प्रख्यान अथवा धारा १४ के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया भूमि का अनुदान किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी रिजस्ट्री और लेख्यों के निष्पादन से सम्बद्ध विधि के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी और रिजस्ट्री अथवा साक्षीकरण (ऐटेस्टेशन) से मुक्त रहेगा और सर्वदा मुक्त समझा जायेगा।

रजिस्ट्री तथा स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति

17—— (1) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार, नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार

- (2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुये, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकेगी——
 - (क) समिति की स्थापना, संगठन तथा इसके सभापति (और सदस्यों के नामांकन)² से सम्बद्ध विषय;
 - (ख) भूदान प्रख्यापन का आकार—पत्र तथा रीति, जिसमें वह प्रस्तुत किया जायगा;
 - (ग) भूदान प्रख्यापन के साथ नत्थी किये जाने वाले लेख्य;
 - (घ) भूदान प्रख्यापन के प्रकाशन की रीति;
 - (ङ) धारा 9 के अधीन जांच का प्रकार, क्षेत्र तथा रीति;
 - (च) उजदारियां प्रस्तृत करने तथा इनके दर्ज करने की रीति;
 - (ज) इस अधिनियम के अंतर्गत नोटिसों की तामील की रीति और ढंग;
 - (झ) धारा 11 के अन्तर्गत उजूदारियां की सुनवाई तथा निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
 - (স) प्रख्यापन के पुष्टीकरण अथवा अधिकान्त करने से सम्बद्ध प्रक्रिया,
 - (ट) धारा 14 के अनुसार भूमि अनुदान से सम्बद्ध विषय; और
 - (ठ) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायें।

1.

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1975 की धारा 5 द्वारा बढ़ाई गई।

^{2.} उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1979 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

THE UTTAR PRADESH BHOODAN YAGYA ACT, 1952¹

[U. P. Act No. 10 of 1953]

Amended by U. P. Act No. 10 of 1975, U. P. Act No. 8 of 1977 and U. P. Act No. 23 of 1979

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 24, 1952 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 5, 1953.

Received the assent of the President on February 27, 1953, under Article 201 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated March. 5, 1953]

AN

ACT

to facilitate donation and settlement of lands in connection with the Bhoodan Yagya initiated by Sri Acharaya Vinoba Bhave:

Whereas it is expedient to facilitate the donation of lands connection with the Bhoodan Yagna initiated by Sri Vinoba Bhave and to provide for the settling of such lands on the landless persons:-

It is hereby enacted as follows-

Short title,

- 1. (1) This Act may be called the U. P. Bhoodan Yagya Act, 1952.
- extent and commenceme
- (2) It extends to the whole of the Uttar Pradesh.
- (3) It shall come into force at once.

Definitions

- 2. In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context-
 - (a) "Bhoodan Yagya" means the movement initiated by Sri Acharya Vinoba Bhave for acquisition of land through voluntary gifts with a view to distribute it to landless persons;
 - (b) "holding" shall have the meaning assigned to it in the U. P. Tenancy Act, 1939;
 - (c) "owner" means, as respects any land-
 - (i) in areas where the rights of intermediaries have vested in the State Government under section 4 of the U.P Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, its [bhumidhar or Government Lessee]² as the case may be;
 - (ii) in areas where the U. P. Tenancy Act, 1939, is in force for the time being. its landlord and also includes a rent-free grantee, a grantee at a favourable rate of rent, a grove-holder and a tenant mentioned in clauses (a) to (f) of section 21 of the said Act;

^{1.} For S 0, R. see Gazette Extraordinary dated Nov 21, 1952.

^{2.} Sub. by see 71 of U. P. Act No. 8 of 1977.

^{3.} Omitted by section 26 of U.P. Act No. 20 of 1982.

[The U. P. Bhoodan Yagya Act, 1952]

[Section 3-5]

- (iii) in other areas, its proprietors and also includes a tenant having a heritable and transferable interest in land;
- (d) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (e) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh; and
- (f) words and expressions not defined in this Act shall have the meaning assigned to them-
 - (i) in areas referred to in sub-clause (1) of clause (c), in the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950;
 - (ii) in areas referred to in sub-clause (ii) of the said clause in the U. P. Tenancy Act; 1939;
 - (iii) in other areas, in the law relating to land tenure applicable to the land.

Establishment and incorporation of the Bhoodan Yagya Committee

3.

There shall be established a Bhoodan Yagna Committee for Uttar Pradesh (hereinafter called the Committee) having perpetual succession which shall be a body corporate vested with the capacity of suing and being sued in its corporate names acquiring, holding, administering and transferring property, both movable and immovable and of entering into contracts.

Constitution committee

- 4. (1) The Committee shall consist of the following members; namely---
 - (a) the Chairman to be nominated by the [State Government;]¹
 - (b) four or more but not exceeding nine members to be nominated by the [State Government.]¹
 - $(2) [***]^2$
 - (3) The nomination [***]³ of the Chairman and of the members shall be notified in the Gazette in the manner prescribed.
 - (4) The Chairman and members of the committee shall hold office for four years from the date of the notification under sub-section (3) and shall be eligible for re-appointment or re-nomination.

Dissolution of the committee

- 5. (1) If at any time the State Government is satisfied that----
 - (a) the Committee has failed without reasonable cause or excuse to discharge duties or to perform functions imposed or assigned by or under this Act;
 - (b) circumstances have so arisen that the Committee is rendered unable or may be rendered unable to discharge duties or to perform functions imposed or assigned by or under this Act; or

^{1.} Subs. by sect. 2 (a) of U. P. Act No, 23 of 1879.

^{2.} Del. by sect. 2 (b) ibid.

^{3.} Del. by sect. 2 (e) ibid.

- (c) it is otherwise expedient or necessary to dissolve the committee, It may by notification in the official Gazette----
 - (i) dissolve the committee for the period to be specified;
 - (ii) direct the reconstitution of the committee in accordance with the provisions of section 4 of this act; and
 - (iii) declare that the duties, powers and functions of the committee under this Act shall for the period for which it has been dissolved be discharged, exercised and performed by such person or authority and subject to such restrictions as may be specified therein.
- (2) The State Government may make such incidental and consequential provisions as may appear to be necessary for this purpose.

Casual vacancies and other maters about the committee

6.

7.

8.

The method of filling up casual vacancies in the committee, procedure of its working and the conduct of its business shall be such as may be prescribed.

Duties of the committee

- (1) It shall be the duty of the committee to administer all lands vested in it for the benefit of the Bhoodan Yagna.
- (2) The committee shall for the purposes of Bhoodan Yangna perform such other functions and possess such other powers as may be necessary in respect of such land.

Donation of land to Bhoodan Yagna

- (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, any person, being the owner of land, may donate and grant such land to the "Bhoodan Yagna" by a declaration in writing in that behalf (hereinafter called the Bhoodan declaration) in the manner prescribed.
 - (2) The Bhoodan declaration shall be filed with the Tahsildar as soon as it is made.

Publication of and investigatio n upon the declaration

- 9. Upon receipt of the Bhoodan declaration the Tahisildar shall---
 - (a) publish the same for objections; and
 - [(aa) give notice of the same to the concerned Gaon Sabha;]¹
 - (b) make a summary inquiry as to the right title and interest of the donor in such land.

Donor competent to donate land

10. Notwithstanding anything contained in the, U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, U. P. Tenancy Act, 1939, or any other law relating to land tenure as may be applicable, an owner shall be competent for purposes of this Act to donate the land held by him as such to the Bhoodan Yagna.

Filling, hearing and disposal of objections

11. (1) Any person whose interests are affected by the Bhoodan declaration made under section 8 may within thirty days of tile publication of the declaration, file objections on the same before the Tahsildar.

- (2) The Tahsildar shall register every such objection and shall fix a date of hearing, of which notice shall be given to the declarant, the objector and [the concerned Gaon Sabha]¹.
- (3) On the date of the hearing or any other date to which it may be postponed, the Tahsildar shall proceed to investigate and dispose of the objection and shall subject to the provisions of section 12 --
 - (a) either confirm the Bhoodan declaration, or
 - (b) supersede the same.
- (4) If the Tehsildar confirms the Bhoodan declaration then notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, all the rights title and interest of the owner in such land shall stand transferred to and vest in the Bhoodan Committee for purposes of the Bhoodan Yagna:

Provided that no Land revenue shall be payable in respect of the land for a period of three years commencing from the first day of July next following the date of confirmation where such land was partikadeem or banjar on the date of donation.

- (5) Where the Bhoodan declaration is superseded by the Tehsildar under sub-section (3) the donation shall deemed can celled and the owner shall be deemed to continue to have all his right interests and title in such land as if no such donation was made.
- [(6) Any person aggrieved by an order of the Tahsildar under the section may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal against it to the Collector and the decision of the Collector on such appeal, shall be final.
- (7) The power to confirm or supersede a Bhoodan declaration under this section shall include the power to confirm or supersede the same wholly or in part.]²

Lands which cannot be donated

- 12. Notwithstanding anything contained in any law an owner shall not, for purposes of this Act, be entitled to donate the land falling in any of the following classes namely.
 - (a) lands which on the date of donation are recorded or by usage treated as common pasture lands cremation or burial grounds, tank, path-way or threshing floor; and
 - (b) land in which the interest of the owner is limited to the life time;
 - (c) such other land as the State Government may by notification in the Gazette specify.

Lands donated prior to the commencement of this Act

(1) Where any land has been donated to the Bhoodan Yagna prior to the commencement of this Act, the Collector shall prepare a list of all such lands other than lands to which the provisions of section 12 apply showing therein-

^{1.} Sub. by sec 3 (i) of U. P. Act No. 10 of 1975.

^{2.} Ins. by sec. 3 (ii) ibid.

- (a) the area and other particulars of the land;
- (b) the name and address of the donor;
- (c) date of donation;
- (d) the nature of interest of the donor in the land;
- (e) if the land has already been granted to any person in pursuance of the Bhoodan Yagna, the name and address of the person. to whom the land has been granted (herein after called the grantee);
- (f) the date of the grant under sub-clause (e); and
- (g) such other particulars as may be prescribed.
- (2) The list so prepared shall be published in the manner prescribed.
- (3) Upon the publication of the list under sub-section (2) and notwithstanding anything in any law to the contrary-
 - (a) the right, title and interest of the donor in such land shall with effect from the date of donation be deemed to stand transferred to and vest in the Bhoodan Yagna Committee as if a Bhoodan Yagna declaration had, been duly made and confirmed in respect thereto under and in accordance with section 8 and sub-section (3) of section 11;
 - (b) where such land has in pursuance of Bhoodan Yagna been granted to any person it shall with effect from the date of grant be deemed further to have been granted to the grantee under and in accordance with the provisions of section 14.

Grant of land to landless persons.

14.

- [(1)]¹ The committee or such other authority or person as the Committee with the approval of the State Government, specify either generally or in respect of any area, may, in the manner prescribed, grant lands which have vested in it to the [landless agricultural labourers]², and the grantee of the land shall-
 - (i) where the land is situate in any state which has vested in the State Government under and in accordance with section 4 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, acquire in such land he rights and the liabilities of a [Bhumidar with non-transferable rights,]³ and
 - (ii) where it is situate in any other area, acquire therein such rights and liabilities and subject to such conditions, restrictions and limitations as may be prescribed and they shall have effect, any law to the contrary notwithstanding.

^{1.} Re-numbered by sec. 4 of U. P. Act No. 10 of 1975.

^{2.} Subs. by Sec. 4(b) ibid.

³ Subs. by Sec. 72(a) of U. P. Act No.8 of 1977.

[The U. P. Bhoodan Yagya Act, 1952]

[Section 15]

- [(2) Where the committee or other authority or person as aforesaid fails to grant any land in accordance with sub-section (1) within a period of three years from the date of vesting of such land in the committee or from the date of commencement of the Uttar Pradesh Bhoodah Yagna (Amendment) Act, 1975, whichever is later, the Collector may himself grant such land to the landless agricultural labourers in the manner prescribed, and thereupon the grantee shall acquire the rights and liabilities mentioned in sub-section (1) as if the grant were made by the committee itself.
- $(3) [***]^{1}$
- (4) In making grant of land under this section, the committee or, other authority or person as aforesaid or the Collector, as the case may be, shall observe the following principles:-
 - (a) At least fifty per cent of the land available for grant shall be granted to persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and persons belonging to the Kol, Pathari, Khairwar, Baiga, Dharikar, Panika and Gond Tribes and such other tribes as the State Government on the recommendation of the Committee may notify in this behalf;
 - (b) The land situate in one village shall, as far as possible, be granted to persons residing in that very village.

Explanation-- For the purposes of this section; the expression "land-less agricultural labourer" means a person whose main source of liveli-hood is agricultural labour or cultivation and who at the relevant time either holds no land or holds; land not exceeding 0.40468564 hectares (one acre) in Uttar Pradesh as a bhumidhar, [***]² asami or Government lessee.]³

Grants to be made in accordance with Bhoodan Yagna Scheme 15. All grants shall be made as far as may be, in accordance with the scheme of Bhoodan Yagna.

[Cancellation of certain grant

- 15-A (1) The Collector may of his own motion and shall on the report of the committee or on the application of any person aggrieved by the grant of any land made under section 14, whether before or after the commencement of the Uttar Pradesh Bhoodan Yagna (Amendment) Act, 1975, inquire into such grant, and if he is satisfied that the grant was irregular or was obtained by the grantee by misrepresentation or fraud, he may-
 - (i) cancel the grant, and on such cancellation, notwithstanding anything contained in section 14 or in any other law for the time being in force, the rights, title and interest of the grantee or any person claiming through him in such land shall cease, and the land shall revert to the committee; and
 - (ii) direct delivery of possession of such land to the committee after ejectment of every person holding or retaining possession thereof, and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

^{1.} Omitted by Sec 72(b) of U. P. Act No.8 of 1977

^{2.} Omitted by Sec. 72 (c) ibid.

^{3.} Ins. by Sec. 4(b) of U. P. Act No. 10 of 1975

[The U. P. Bhoodan Yagya Act, 1952]

[Section 16-17]

- (2) Notice of every proceeding under sub-section (1) shall be given to the committee, and any representation made by the committee in relation thereto shall be taken into consideration by the Collector.
- (3) No order shall be passed under sub-section (1) except after giving an opportunity of being heard to the grantee or any person known to the Collector to be claiming under him.
- (4) The order of the Collector passed under sub-section (1) shall be final and conclusive.]¹

Exemption 16. from stamp duty and registration

The Bhoodan declaration made or deemed to be made under section 8 or a grant of land made or deemed to be made under section 14 shall be and the be deemed always to have been exempt from payment of stamp duty and from registration or attestation under law relating to registration and execution of Documents, any law to the contrary notwithstanding.

Power to 17. make rules

- (1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.
- (2) Without prejudice to the generality of foregoing powers such rules may provide for --
 - (a) the matters relating to the establishment, constitution of the
 - (b) committee [and nomination of chairman and the members thereto]²;
 - (c) the form of Bhoodan declaration and the manner in which it shall be filed;
 - (d) the documents to be filed with the Bhoodan declaration;
 - (e) the manner of publication of the Bhoodan declaration;
 - (f) the nature, scope and manner of the enquiry under section 9;
 - (g) the manner of filing the objections and their registration;
 - (h) the fixation of date for hearing the objections;
 - (i) manner and mode of service of notices under this Act;
 - (j) procedure to be followed in hearing and disposal of objection under section 11;
 - (k) the procedure relating to the confirmation or supersession of declaration:
 - (1) the matters relating to the grant of land in pursuance of section 14; and
 - (m) the matters, which are to be and may be prescribed.

^{1.} Ins. by section 5 of U. P. Act No. 10 of 1975

^{2.} Subs. by sect. 3 of U. P. Act No. 23 of 1979.